[2019] 17 एस. सी. आर 1057

एम/एस। द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड।

वी.

केंद्रीय आयोग के आयुक्त

(2008 की सिविल अपील सं. 5297)

09 दिसंबर, 2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - s.11A-यदि अनंतिम मूल्यांकन के मामलों पर लागू होता है-अपीलार्थी, के निर्माण में लगे हुए

सूती और मानव निर्मित कपड़े, अन्य बातों के साथ-साथ दायर रिट याचिकाओं में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि धागे के संबंध में उत्पाद शुल्क देय नहीं है

के निर्माण में इसकी मिश्रित मिलों में आगे संसाधित किया गया

कपड़े-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत भी मांगी गई-अपीलकर्ता ने आर के लिए संदर्भित फॉर्म बी-13 में बांड निष्पादित किए। 9 बी, 1944 नियम और समकक्ष के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी (बीजी)

विचाराधीन कपड़े के संबंध में अंतर शुल्क की राशि-14.05.85 पर संशोधित अंतरिम राहत-10/12.03.93 पर निपटाई गई रिट याचिकाएं-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने अपीलार्थी को सूचित किया कि s. 11 ए वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था-अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि कारण दिखाएँ नोटिस यू/एस। 11 ए अनिवार्य था-अपीलार्थी को भुगतान करने के लिए कहा गया था

रु. 35,92, 234.67 / - डी. टी. डी. आदेश को देखते हुए। 14.05.85 ऐसा न करने पर विभाग को बीजी को लागू करने के लिए कदम उठाने थे-अपीलार्थी को दी गई व्यक्तिगत सुनवाई-सहायक आबकारी कलेक्टर द्वारा पुष्टि की गई उत्पाद शुल्क की मांग-अपीलार्थी द्वारा अपील अधिकारियों के समक्ष अपील खारिज कर दी गई-उच्च न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया-आयोजित: s.11A जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, शुल्क की वसूली के मामलों पर लागू होगा जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है आदि। 9 बी, 1944 नियम, जो शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन से संबंधित है-अपीलार्थी को उच्च न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी आर के लिए संदर्भित फॉर्म बी-13 में बांड निष्पादित करेगा। 9 नियमों के बी और समय-समय पर मासिक आर. टी.-12 विवरणी दाखिल करना जारी रखें, जिस पर यह संकेत देते हुए समर्थन किया गया था कि यह अस्थायी मूल्यांकन का मामला है, अपीलार्थी को अब यह आग्रह

करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने अस्थायी मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत नहीं किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस ओर से संबंधित प्राधिकारी का विशिष्ट आदेश-पक्षकारों द्वारा लिया गया रुख जैसा कि आदेश में दर्ज किया गया है। 10 / 12.03.93 , यह इस तथ्य को स्वीकार करने तक सीमित है कि यदि नोटिस देने की आवश्यकता है, तो यह दिया जाएगा और यह अपीलार्थी के लिए जवाब दाखिल करने के लिए खुला होगा और अधिकारी अवसर देने के बाद निर्णय लेंगे।

इसमें और कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है किसी भी तरह से कहा गया आदेश

अपीलार्थी को उस प्रक्रिया से निकाल दिया जिसमें उसने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से खुद को प्रस्तुत किया था, अर्थात्, यू / इस प्रकार, यह शुल्क नहीं लगाए जाने या भुगतान नहीं किए जाने या कम समय के लिए लगाए जाने या कम समय के लिए भुगतान किए जाने का मामला नहीं था-यह निश्चित रूप से निर्धारित प्रारूप में बांडों को स्वेच्छा से निष्पादित करके स्वीकार किए गए दायित्व को पूर्ववत करने का आदेश नहीं है, अर्थात फॉर्म बी-13 जो आर के लिए संदर्भित है। 9 बी-रिट याचिकाओं के निपटारे तक प्रक्रिया को अस्थायी मूल्यांकन के रूप में मानना-साथ ही, अधिकारियों ने बाद में रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद अंतिम आदेश पारित किया-एक प्राथमिकता, उन्होंने आदेश में निहित किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया। 10 / 12.03.93 और 25.05.81 से 13/14.05.85 के बीच की अवधि के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए-उच्च न्यायालय के आदेश को उचित परिप्रेक्षय में समझा जाना चाहिए और अनुचित लाभ देने या प्रदान करने के लिए नहीं है।

अपीलार्थी का पक्ष लेना और वैध राज्य के खजाने को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 से वंचित करना - आर. 9 आर/डब्ल्यू आर। 49 ; आर. 9 बी-उत्पाद शुल्क।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 रिट याचिकाओं में, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा था कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित कपड़ा उत्तरदायी नहीं था उत्पाद शुल्क के लिए क्योंकि इसे नियमों के नियम 9 और 49 के अर्थ के भीतर परिसर से नहीं हटाया गया था। निर्विवाद रूप से, कथित नियमों के उद्देश्य का अंत में उत्तर दिया गया है

मेसर्स में सुप्रीम कोर्ट। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्र. बनाम भारत संघ और अन्य। हल करने के बाद

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों की परस्पर विरोधी राय। रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख को इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में नकार दिया गया है। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से संबंधित प्रश्न कम से कम इस निर्णय के बाद अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था और न ही हो सकता था। [पैरा 18] [1077-सी-डी] 1.2 अपीलार्थी ने स्वेच्छा से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित नियम 9 बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13 में आवश्यक बांड प्रस्तुत किए।

अंतर शुल्क की समतुल्य राशि के लिए। यह एम/एस नहीं है।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त

न्यायालय के आदेश के अनुसार दायर किया गया उपक्रम। स्वीकार करते हुए, रिट याचिकाओं का निपटान करने का आदेश अपीलार्थी को उक्त बॉन्ड से दोषमुक्त नहीं करता है; न ही उस पर और मासिक आर. टी.-12 रिटर्न पर किए गए समर्थन, जो यह दर्शाते हैं कि यह एक अस्थायी मूल्यांकन था, को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। द.

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12.3.1993 को पारित आदेश, किसी भी तरह से अपीलार्थी को उस प्रक्रिया से बाहर नहीं निकालता है जिसमें अपीलार्थी ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से खुद को प्रस्तुत किया था, अर्थात् नियमों के नियम 9 बी के तहत। इस प्रकार, यह शुल्क न लगाए जाने या न भुगतान किए जाने या कम लगाए जाने या कम भुगतान किए जाने का मामला नहीं था। पक्षकारों की समझ बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के लिए। अपीलकर्ता अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसमें फॉर्म बी-13 में उपक्रम/बांड से उत्पन्न होने वाले दायित्व भी शामिल हैं और उस प्रक्रिया से वापस नहीं आ सकता है जिसमें उसने बिना किसी आपत्ति के खुद को प्रस्तुत किया था, अर्थात् नियमों के नियम 9 बी के तहत। [पैरा 20] [1077-जी-एच; 1078-ए-डी]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1981) 8 ई. एल. टी. 887 (डेल.)-संदर्भित।

1.3 रोहित मिल्स लिमिटेड में, सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें निर्दिष्ट दो स्थितियों पर विचार किया। सबसे पहले, कहाँ कारण दिखाएँ नोटिस

यही कारण एम/एस के पैराग्राफ 30 से 33 में व्याख्या है। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, का कोई लाभ नहीं होगा। अपीलार्थी। अधिनियम की धारा 11 ए, जो प्रासंगिक समय पर लागू होती है, उन शुल्कों की वसूली के मामलों पर लागू होगी जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या कम लगाए गए या कम भुगतान किए गए आदि। हालाँकि, यह मामला नियमों के नियम 9 बी द्वारा पूर्वनिर्धारित व्यवस्था के भीतर आएगा, जो शुल्क के लिए अस्थायी मूल्यांकन से संबंधित है। [पारस 20-22] [1078-D-G; 1082-D] [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रोहित मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1988) 18 ईसीआर 17 एससी; मेसर्स। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। (1987) (एस. सी. सी. 350 [1988] 1 एस. सी. आर. 700-लागू नहीं होता।

1.4 दिनांक 10/12.3.1993 के आदेश में अभिलिखित पक्षों द्वारा लिया गया रुख इस तथ्य को स्वीकार करने तक सीमित है कि यदि नोटिस देने की आवश्यकता है, तो वही दिया जाएगा और उस मामले में अपीलकर्ता के लिए जवाब दाखिल करने के लिए खुला होगा और इसके अलावा, अधिकारी निर्धारिती को अवसर देने के बाद निर्णय लेंगे। इसमें और कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10/12.3.1993 का आदेश। यह निश्चित रूप से निर्धारित प्रारूप, अर्थात् नियमों के नियम 9बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13 को स्वेच्छा से निष्पादित करके निर्धारिती द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व को पूर्ववत करने का आदेश नहीं है।

रिट याचिकाओं के निपटारे तक प्रक्रिया को अस्थायी मूल्यांकन के रूप में मानना। अधिकारियों ने बाद में रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद अंतिम आदेश पारित किया। एक प्राथमिकता, अधिकारियों ने किसी भी शर्त या निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है

उच्च द्वारा पारित 10/12.3.1993 दिनांकित आदेश में निहित

दिल्ली का न्यायालय और 25.5.1981 से 13/14.5.1985 के बीच की अवधि के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए। [पैरा 24,25] [1084-बी-डी]

1.5 इसी तरह, मेटल फोर्जिंग्स और हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस न्यायालय का स्पष्टीकरण यह आग्रह करता है कि

किसी निर्धारण को अनंतिम मूल्यांकन के रूप में माने जाने से पहले विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता थी, अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा अपनी इच्छा से प्रपत्र बी-13 में बांड के निष्पादन पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा, जो नियमों के नियम 9 बी के तहत अनंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए संदर्भित है। एक बार जब अपीलार्थी ने रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए किसी भी आपत्ति के बिना उस प्रक्रिया के लिए खुद को प्रस्तुत कर दिया, तो वह बाद में उससे फिर से दायर करने के लिए खुला नहीं है। निर्धारिती को ऐसा करने की अनुमति देने से अनिवार्य रूप से निर्धारिती को अनुचित लाभ और पक्ष मिलेगा, जिसने अनुच्छेद 226 के तहत उपचार का आह्वान किया था।

भारत के संविधान की और अंतरिम संरक्षण की मांग की

जैसा कि सिविल विविध याचिकाओं के प्रार्थना खंड (ए) में उल्लेख किया गया है, प्रपत्र बी-13 में बंधपत्रों को निष्पादित करने की पेशकश। इसी कारण से, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र में मेसर्स पर दबाव डाला गया।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त

दिल्ली उच्च न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता नियमों के नियम 9 बी के लिए संदर्भित फॉर्म बी-13 में बांड निष्पादित करेगा और समय-समय पर मासिक आरटी-12 रिटर्न दाखिल करना जारी रखेगा, जिस पर अनुमोदन किया गया है जो दर्शाता है कि यह अस्थायी मूल्यांकन का मामला है। अपीलार्थी को अब यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने उस ओर से संबंधित प्राधिकारी के एक विशिष्ट आदेश की कमी के कारण अस्थायी मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10/12.3.1993 को पारित आदेश को उचित परिप्रेक्षय में समझना होगा न कि अनुचित लाभ देने के लिए। अपीलार्थी को अनुग्रह प्रदान करें और इस प्रकार राज्य के वैध खजाने को वंचित कर दें। [पारस 31,32] [1087-एच; 1088-ए-डी एफ]

भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आय कर

अधिकारी, भोपाल [1961] 1 एससीआर 474; आर. बी. एफ. रिग निगम, मुंबई बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त

(आयात), मुंबई (2011) 3 एससीसी 573: [2011] 2 एससीआर

691 ; धातु फोर्जिंग्स और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य।

(2003) 2 एस. सी. सी. 36; कलाभारती विज्ञापन बनाम। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य। (2010) 9 एससीसी 437:

[2010] 10 एस. सी. आर. 971; जगमितर सैन भगत और अन्य। वी.

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा और अन्य। (2013) 10

एस. सी. सी. 136 [2013] 8 एस. सी. आर. 77-लागू नहीं होता।

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (1998) 3 एस. सी. सी. 540 [1998]

2 एस. सी. आर. 102; द जैम श्री रंजीतसिंहजी एस. पी. जी. & डब्ल्यूवीजी।

मिल्स कं. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। (2007)

109 बॉम एल. आर. 2167; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(2005) 3 एससीसी 489 [2005] 2 एससीआर 744; तटीय

गैस एंड केमिकल्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. सहायक कलेक्टर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विशाखापत्तनम और अन्य। (1997) 7

एस. सी. सी. 223 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

पै

रा 1

(1981) 8 ईएलटी 887 (डेल.)

संदर्भित किया गया है

(1988) 18 ईसीआर 17 एससी

पै

रा 6

अप्रयोज्

य [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2007) 109 बम एलआर 2167

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1961] 1 एससीआर 474

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 15

[2011] 2 एससीआर 691

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 15

(2003) 2 एससीसी 36

पै

रा 15

अप्रयोज्य रखा गया

[1998] 2 एससीआर 102

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2005] 2 एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2010] 10 एससीआर 971

पै

रा 15

अप्रयोज्य रखा गया

[2013] 8 एससीआर 77

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 15

(1997) 7 एससीसी 223

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1988] 1 एससीआर 700

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5297

2008 से।

उच्च न्यायालय के 13.09.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 237 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय।

कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीमती नंदिनी गोर, सुश्री ताहिरा

करंजावाला, सुश्री नताशा सहरावत, अर्जुन शर्मा, श्रीमती माणिक करंजावाला, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ए. के. सांघी, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता।, बी. वी. बलराम दास,

मुल्लापुडी राम बाबू, सुश्री अलका अग्रवाल, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

13.9.2007 2006 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 237 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी सूती और मानव निर्मित कपड़ों के निर्माण में लगा हुआ है। अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा निर्मित कपड़ा उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि यह कैप्टिव उपभोग के लिए था और इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में, 'नियम') के नियम 49 के साथ पठित नियम 9 के तहत परिकल्पित बिक्री या उपभोग के उद्देश्यों के लिए नहीं हटाया जाना था। इस दावे पर और जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए।

सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय एक्साइज के वरिष्ठ अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निओन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। ' , अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान की धारा 226 के तहत दो रिट याचिकाएं दायर कीं।

जी सिविल रिट याचिका सं। 1234/1981 और 1235/1981। द.

दोनों याचिकाओं में मध्यस्थता समान हैं सिवाय इसके कि वे संबंधित हैं

एरिओड्स। हम लिखित याचिका में दावा की गई राहतों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। 1981 , सुविधा के लिए। वही इस प्रकार पढ़ा जाता है:

-

" (क) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें घोषणा की जाए कि

सूत (कपास) के संबंध में उत्पाद शुल्क देय नहीं है।

और मानव निर्मित) याचिकाकर्ता में आगे संसाधित किया गया

कपड़ों के निर्माण में मिश्रित मिलें:

(ख) प्रमाण पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश जारी करना।

या उसकी प्रकृति में क्वैशिंग और सेटिंग

दिनांक 6.10.1976 (अनुलग्नक ए), 24.9.1980 (अनुलग्नक बी) और 23.4.1981 दिनांकित नोटिसों को रद्द करने के लिए (अनुलग्नक सी)

और बयान में संदर्भित सभी समान नोटिस

(अनुलग्नक डी), दिनांकित 7.1.1981 (अनुलग्नक जी) और दिनांकित

9.3.1981 (अनुलग्नक एच):

(ग) अनिवार्य लिखित आदेश या कोई अन्य उपयुक्त लिखित आदेश जारी करना,

उसकी प्रकृति में आदेश या दिशा, को प्रतिबंधित करना

उत्तरदाताओं में उत्पाद शुल्क लगाने या एकत्र करने से

याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त धागे का सम्मान आगे के लिए अपनी मिश्रित मिल में मध्यवर्ती चरण

बोर्ड, प्रत्यर्थी संख्या 2, रद्द करने और/या वापस लेने के लिए परिपत्र पत्रों में निहित निर्णय और निर्देश

कथन (अनुलग्नक डी), दिनांक 7.1.1981 में (
अनुलग्नक जी) और 9.3.1981 (अनुलग्नक एच) और

प्रतिवादी 3 और 4 को कोई भी कदम उठाने से रोकें या /
के अनुसार और उसके अनुसार कार्यवाही

उपरोक्त निर्देश और नोटिस।

एल. टी. 887 (डेल.)

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट(घ) निषेध का एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें,

प्रकृति में आदेश या निर्देश, इसलिए प्रतिवादी को धागे पर उत्पाद शुल्क एकत्र करने से रोकना

याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मिश्रित मिल में प्राप्त किया जाता है जिसे आगे कपड़ों के निर्माण में संसाधित किया जाता है।

(ई) उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

अवैध रूप से शुल्क की राशि वापस करने के लिए प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की मिश्रित मिलों में और सेलुलोसिक कताई धागे के संबंध में 15.7.1977 से शुरू होने वाली अवधि के लिए कपड़ों के निर्माण में आगे संसाधित किया गया और गैर-सेल्युलोसिक सूत और 17.3.1972 से और सूती धागे के संबंध में और 15.7.77 से आज तक

वर्तमान रिट याचिका और विशेष रूप से विवरण में निर्दिष्ट राशियों का निपटान (अनुलग्नक ई)

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ और प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को अनुदान देने के लिए निर्देशित करने के विकल्प में

दिनांक 13.5.1981 (कोली) के धनवापसी दावों के अनुसार धनवापसी;

(च) वैकल्पिक रूप से और उपरोक्त प्रार्थनाओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, परमादेश या कोई अन्य रिट जारी करने के लिए,

उत्पादन में संसाधित धागे के आकार पर उसके संबंध में उत्पाद शुल्क एकत्र न करने के लिए उत्तरदाता को उसकी प्रकृति का आदेश या निर्देश कपड़ों से।

(छ) वैकल्पिक रूप से और उपरोक्त प्रार्थनाओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निषेध की रिट या कोई अन्य रिट, आदेश जारी करें।

या उसकी प्रकृति में दिशा, को प्रतिबंधित करना

याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में संसाधित धागे के संबंध में उत्पाद शुल्क लगाने या एकत्र करने से प्रतिवादी

धागे के वजन के आधार पर मिश्रित मिलें

उसका आकार।

(ज) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करना जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित माने जाएं; और

(i) के पक्ष में रिट याचिका की अधिनिर्णय लागत

याचिकाकर्ता "। एम/एस।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

2. उपरोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने सिविल विविध याचिका संख्या दायर की। 1698/1981 और 1699 /

1981 संबंधित रिट याचिकाओं में, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करते हुए। सुविधा के लिए, रिट याचिका संख्या 1235/1981 में दायर सिविल विविध याचिका संख्या 1699/1981 में दावा की गई राहत नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं: -

" (क) याचिकाकर्ताओं को आगे की प्रक्रिया और सेल्यूलोज और गैर-सेल्यूलोजिक का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए स्थगन आदेश प्रदान करें।

मानव निर्मित कपड़े, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े के निर्माण में अपनी मिश्रित मिल में बुने हुए धागे, मानव निर्मित फिलामेंट धागे और सूती धागे को शुल्क की शून्य दर पर और केवल सूती कपड़े के संबंध में शुल्क का भुगतान करने पर (सूती धागे पर शुल्क का भुगतान किए बिना) याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर ऐसे धागे के संबंध में अंतर शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित फॉर्म बी-13 नियम 9 बी में आवश्यक बांड प्रस्तुत करने का वचन देना और प्रतिवादी 3 से 4 को बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए कोई कार्रवाई या कार्यवाही करने से रोकना, प्रतिवादी संख्या 2 (रिट याचिका के अनुलग्नक ए और बी) और दिनांकित नोटिस।

7.1.1981 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक जी) और 9.3.1981 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक एच):

(ख) प्रार्थना के संदर्भ में अंतरिम रोक प्रदान करें (क)

इसके ऊपर: और

(ग) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जो माने जा सकें।

उचित और उचित "।

3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25.5.1981 दिनांकित आदेश के माध्यम से, जबकि

उपरोक्त प्रार्थना खंड (ए) के संदर्भ में अंतरिम राहत प्रदान की गई उक्त विविध याचिकाओं पर नोटिस जारी करना। उक्त अंतरिम राहत को आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को अंतर कर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 2/10.3.1983 का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया (संक्षेप में, '

विभाग ') अपनी रिट याचिकाओं को खारिज करने की स्थिति में। उस उपक्रम का प्रारूप [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत नियमों के नियम 9 बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13 में निर्धारित उपक्रम के अनुरूप था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्थायी मूल्यांकन के मामले में देखें। बाद में, उच्च न्यायालय ने 14.5.1985 पर अंतरिम राहत को संशोधित किया। का प्रासंगिक भाग

ओडिफाइड अंतरिम राहत इस प्रकार है: -

" ..... भविष्य के भुगतान के संबंध में कोई रोक नहीं होगी। इस दौरान

रिट याचिका की विचाराधीनता, जहां के संबंध में रखा जाएगा

शुल्कों की विवादित राशि का 50 प्रतिशत

प्रतिवादी इस शर्त पर बकाया के रूप में कि आवेदक प्रस्तुत करता है बैंक गारंटी या बैंक गारंटी का नवीनीकरण पहले से ही

प्रस्तुत किया गया और रिट याचिका के निपटारे तक इसे लागू रखें। बकाया शुल्क के 50 प्रतिशत शेष के संबंध में, जो विवादित है, इसका 25 प्रतिशत आज से 3 महीने के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत के संबंध में, पक्ष प्रत्येक उत्तरवर्ती में 12% 2% की दो समान किश्तों में समान भुगतान करेंगे। चौथाई। 25 प्रतिशत भुगतान जो पहला भुगतान है, 14 अगस्त, 1985 को या उससे पहले किया जाएगा, दूसरी किस्त 14 नवंबर, 1985 को या उससे पहले की जाएगी और 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान 20 फरवरी, 1986 को या उससे पहले किया जाएगा।

विवादित शुल्क का बकाया जो भुगतान करने की आवश्यकता होती है, केवल आकारहीन धागे के संबंध में होता है। आकार के धागे पर दावा किया गया कोई भी शुल्क

इस आदेश के आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा।

भविष्य के लिए भी बड़े धागे पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

रिट याचिका के निपटारे तक।

यदि विवादित माध्यम से कोई भुगतान किया गया है, तो उसे प्रावधान में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाएगा।

आज हमारे द्वारा आदेश पारित किया गया। ... ...

4. संशोधित अंतरिम राहत के अनुसार, अपीलार्थी ने जमा किया

किश्तों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रति इसके दायित्व का और

भविष्य में भुगतान करने के लिए तैयार। रिट याचिकाएं अंततः थीं

निम्नलिखित शब्दों में 10/12.3.1993 पर सेडः

" पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1988 की सिविल विविध याचिकाओं No.8869 और सिविल में अन्य में जारी आदेशों और निर्देशों द्वारा कवर किया गया है। 1984 की अपील Nos.323 और रोहित मिल्स लिमिटेड में अन्य। भारत संघ, दिनांक 28 अप्रैल, 1988 और यह याचिकाकर्ता के लिए निर्णय लेने से पहले उसके लिए उपलब्ध इस तरह के अन्य विवाद को उठाने के लिए खुला होगा।

कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में प्राधिकरण।

एम/एस। द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तदनुसार, हम उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए: हमारे आदेश का हिस्सा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

5. रिट याचिकाओं के निपटारे के परिणामस्वरूप, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने 26.3.1993 दिनांकित पत्र के माध्यम से संबोधित किया

अपीलार्थी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (संक्षेप में, 'अधिनियम') वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। के लिए, राशि बैंक द्वारा सुरक्षित की गई थी

पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा दी गई गारंटी

अपना जवाब भेजने के लिए अपीलार्थी। सहायक कलेक्टर का उक्त पत्र इस प्रकार पढ़ता है:

" एएसएसटी का कार्यालय। केंद्र के कलेक्टर

इसके अलावा: विभाजन एफ-आई 2 एनडी फ्लोर, मधु इंडस

अवस्थिति: पी. बी. मार्ग, वर्ली, बॉम्बे-13

(स्प्रिंग मिल्स), जी. डी. अम्बेडकर रोड,

बॉम्बे-14.

सज्जनों,

दिल्ली उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. पी. No.1235/81

उप.

एम/एस। बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड

इसके विपरीत

भारत संघ और अन्य

कृपया उपरोक्त राज्य विषय पर आदान-प्रदान किए गए विभिन्न पत्राचारों का संदर्भ लें।

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय के समक्ष 12.3.93 पर सूचीबद्ध था।

श्री न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

उपरोक्त मामले का निर्णय मेसर्स के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। रोहित मिल्स लिमिटेड (आपकी जानकारी और आगे की कार्रवाई के लिए कृपया इसकी प्रति संलग्न करें)।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेसर्स के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का पालन करने से पहले। रोहित मिल्स लिमिटेड, जिस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया है, यह कार्यालय निम्नानुसार आपके ध्यान में लाना चाहेगा:

' धारा 11 ए की प्रयोज्यता और बैंक के नकदीकरण के संबंध में

निश्चित रूप से, मैसर्स द्वारा दायर 1984 की रिट याचिका No.848 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करना उचित है। भीलवाड़ा प्रोसेसर लिमिटेड और अन्य, जिसमें मुद्दा विवाद में था, अर्थात क्या विभाग धारा 11 ए के तहत कारण सहित मांग नोटिस जारी किए बिना अदालत के आदेश के संदर्भ में निष्पादित बैंक गारंटी को लागू कर सकता है। उपरोक्त मामले में भी, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20.2.84 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें विभाग को उत्पाद शुल्क के विवादित हिस्से को इस शर्त पर वसूलने और वसूलने से रोक दिया गया था कि

मामले के याचिकाकर्ता बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे। बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई और रिट याचिका को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4.11.88 पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने याचिकाकर्ताओं से बैंक गारंटी को लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा। इस कार्रवाई से व्यथित होकर, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विविध रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि चूंकि धारा 11 ए के तहत कोई कारण दर्शाओ और मांग नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए 6 महीने की अवधि से आगे कोई वसूली नहीं की जा सकती है। मेसर्स की उपरोक्त याचिका। भीलवाड़ा प्रोसेसर्स लिमिटेड को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.11.88 (जजमेंट टुडे वॉल्यूम में रिपोर्ट किया गया) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। (4) नवंबर भाग 1988 (83) 330)।

एम/एस। भीलवाड़ा प्रोसेसर्स लिमिटेड ने निम्नलिखित रूप में देखा: " चाहे जो भी हो, हमारी राय है कि एक बार अदालत के आदेश के बाद, उत्पाद शुल्क की वसूली या उस मामले के लिए किसी अन्य शुल्क के संबंध में स्थगन आदेश की मांग की जाती है और स्थगन आदेश सशर्त है, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, यदि अंततः रिट याचिका खारिज कर दी जाती है और स्थगन आदेश खाली हो जाता है, तो बैंक गारंटी मेसर्स कर सकती है।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. द मिशनर ऑफ सेंट्रल एक्साइज़ [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तुरंत भुनाया जा सकता है। इसलिए, हमें इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या धारा 11 ए आकर्षित है या नहीं, हमारी राय है कि क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है

एनकैश्ड। उपरोक्त अवलोकन के साथ, हम रिट याचिका को खारिज करते हैं

ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों को देखते हुए, धारा 11 ए तत्काल मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि यह राशि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित की गई थी। हालाँकि, मेसर्स के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। रोहित मिल्स लिमिटेड, यह कार्यालय जानना चाहेगा कि क्या याचिकाकर्ता कारण सहित माँग दिखाना चाहता है।

बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्यर्थी यानी भारत संघ द्वारा जारी की जाने वाली सूचना। यदि हाँ, तो इसकी पुष्टि 31.3.93 द्वारा की जा सकती है ताकि इस कार्यालय को मेसर्स के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सके। रोहित मिल्स लिमिटेड हालाँकि, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान को स्थगित करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जो है भारत संघ का वैध अधिकार, जिसे आपने 1981 से तत्काल रिट याचिका दायर करके वंचित कर दिया था। यदि नहीं, तो बैंक गारंटी को जल्द से जल्द भुनाने के लिए इस कार्यालय को सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस मामले में आपके शीघ्र जवाब की प्रतीक्षा है।

आपकी वफादारी

से,

एस. डी./-

अवैध

(सी. के. निरभवने)

सहायक संग्रहकर्ता

केंद्रीय अपवाद डी. एन. एफ. आई.

6. अपीलार्थी ने 11.5.1993 पर भेजे गए अपने जवाब में कहा कि

अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कारण सूचना कैसे अनिवार्य थी

रोहित एस लिमिटेड एंड ओआरएस में इस न्यायालय के दिनांकित 28.4.1988 के निर्णय के आलोक में। बनाम भारत संघ और अन्य। 2 ने कहा किन्यूनीकेशन इस प्रकार है: -

" हमारा आरई। नहीं। एस. एम./ई-1

11 मई, 1993

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर,

डिवीजन एफ-1, दूसरी मंजिल,

मधु औद्योगिक एस्टेट,

पी. बी. मार्ग, वर्ली

बॉम्बे-400013।

प्रिय महोदय,

तिथि 2 अप्रैल, 1993। उप: दिल्ली उच्च न्यायालय

लेखन याचिका No.1235/1981

बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड (स्प्रिंग मिल इकाई) बनाम यू. ओ. आई. और अन्य।

1. इसमें आपके उपरोक्त पत्र का संदर्भ है जिसमें आपके पास है

वर्गीकरण सूची को अंतिम रूप देने के लिए सुनवाई की तारीख सूचित की

सूती धागे और मानव निर्मित धागे के संबंध में। आपका ध्यान है

आपके पहले के पत्र F.No.FI/PI/V (18)-3/81/1705 दिनांकित पर भी लिखा गया है।

अधिनियम की धारा 11 ए के तहत जारी किए जाने वाले कारण दर्शाओ नोटिस की तरह। 2. हम आपके द्वारा पारित आदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 10.3.1993 जिसके द्वारा

उपरोक्त रिट याचिका का निपटान आदेश के आधार पर किया गया था

रोहित मिल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित

रोहित के मामले में जारी किए गए निर्देशों के आधार पर मामला मिल्स इस बात पर विचार करते हैं कि अब निर्णय उसी के अनुसार किया जाना है

अधिनियम की धारा 11 ए के तहत एक नोटिस के लिए। यह विशेष रूप से

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय मंत्री [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. आपने कृपया सूचित किया है कि उपरोक्त मामले में सुनवाई अब 11.5.1993 के लिए तय की गई है। हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि कोई भी सुनवाई करने से पहले धारा 11 ए के तहत कारण दर्शाओ नोटिस जारी करना होगा और हमें एक अवसर दिया जाएगा। नोटिस का जवाब दें। इस संबंध में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 10.3.1993 के आदेशों के अनुसार, हमें इस तरह के अन्य मुद्दों को उठाने के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता दी गई है।

कारण दर्शाओ नोटिस के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध विवाद। हम उक्त कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में ऐसा विवाद उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिसकी सलाह दी जा सकती है। 5. यद्यपि धारा 11 ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद हमारी दलीलें उठाई जाएंगी, हम यहां स्पष्ट कर सकते हैं कि,

किसी भी स्थिति में, धागे के आकार के बाद उसके संबंध में कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है। दूसरे शब्दों में, उत्पाद शुल्क देय नहीं है

आकार के धागे के वजन का आधार। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सहित कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना गया है। जे. के. कॉटन एस. पी. जी के मामले में न्यायालय। & डब्ल्यूवीजी। मिल्स कम्पनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम यू. ओ. आई. (1987 (32) ई. एल. टी. 234)। सूत के आकार के बाद उत्पाद शुल्क लगाने का पहले किया गया प्रयास, उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए स्पष्ट रूप से अवैध है। आपके पत्र में अस्थायी मूल्यांकन का संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक है। सबसे पहले, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अब अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कारण बताए जाने के नोटिस के आधार पर निर्णय लिया जाना है। दूसरा कारण यह है कि अस्थायी रूप से यदि कोई हो, तो वह स्तर पर धागे की दुर्बलता और आकार के बाद की स्थिति के संबंध में था और आकारहीन धागे से संबंधित नहीं था। किसी भी स्थिति में, मूल्यांकन अब [2019] 17 एस. सी. आर. किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय केवल निर्देशों के अनुसार ही लिया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय से।

6. हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि हालाँकि हमारे विवाद होंगे जैसे ही और जब कोई कारण दिखाएँ नोटिस प्राप्त होता है, हम उठा सकते हैं

इंगित करें कि किसी भी स्थिति में, उत्पाद शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया जाता है

मध्यवर्ती चरण में प्राप्त धागे का जो आगे है

कारखाने के भीतर संसाधित किया जाता है, क्योंकि यह उस स्तर पर प्राप्त नहीं होता है

एक विपणन योग्य स्थिति में। हम पहले ही कुछ राशि का भुगतान कर चुके हैं।

विरोध के तहत ऐसे धागे के संबंध में उत्पाद शुल्क की ओर

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान और इसके निर्णय पर

इस मुद्दे पर, हम उसके धनवापसी का दावा करने के हकदार होंगे।

अधिसूचना, जो माननीय के निर्देशों के अनुसार जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। इन परिस्थितियों में, हम अनुरोध करेंगे

सबसे पहले आप धारा 11ए के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करें। अधिनियम बनाएँ और फिर हमें इसका जवाब दाखिल करने का अवसर दें और

उस संबंध में सुनें। सुनवाई पहले ही 11 मई के लिए निर्धारित की जा चुकी है।

1993 कृपया स्थगित किया जा सकता है क्योंकि मामला नहीं हो सकता है

धारा के तहत कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए बिना निर्णय लिया गया

11 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अधिनियम का ए।

आप

की ईमानदारी से,

एस. डी./- अमान्य

[के. आर. नायक]

पर बंधक "

7. आबकारी के सहायक कलेक्टर ने आदेश-इन-ओरिजिनल डेट किया

19.8.1993 इस बात पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी ने अपने उत्पादों के लिए वर्गीकृत सूचियाँ दाखिल की थीं जिन्हें अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया था और अपीलार्थी को उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिनियम की धारा 11ए के तहत कारण दस्सो नोटिस जारी न करने के बारे में अपीलार्थी की आपत्ति का भी उल्लेख किया। हालांकि, उन्होंने यह देखते हुए वर्गीकरण सूचियों को अंतिम रूप दिया कि निर्धारिती द्वारा पहले दायर की गई वर्गीकरण सूचियों को अस्थायी माना जाता था।

8. सहायक कलेक्टर के उक्त आदेश को आगे बढ़ाते हुए,

रेंज अधीक्षक ने अपीलार्थी को 27.9.1993 दिनांकित एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि मई, 1981 से मई, मेसर्स की अवधि के लिए सभी आरटी-12 विवरणी।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1985 जिन वस्तुओं का तत्कालीन रेंज अधीक्षक द्वारा अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया गया था, उनके लिए 18ए, 18-III और 18ई का मूल्यांकन किया जाता है। उसी संचार द्वारा, उन्होंने अपीलार्थी से एक राशि का भुगतान करने का आह्वान किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.5.1985 के आदेश के अनुसार <ID3,92,234.67 (केवल पैंतीस लाख नब्बे दो हजार दो सौ चौंतीस पैसे)। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर की ओर से अपीलार्थी को संबोधित एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें इस स्थिति को दोहराया गया कि

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, अस्थायी आकलन किए गए थे और वर्गीकरण सूचियों, मासिक आर. टी.-12 विवरणियों आदि पर इस आशय के आवश्यक अनुमोदन किए गए थे। इसके अलावा, अपीलार्थी को 25.5.1981 से 13.5.1985 तक की अवधि के लिए विवादित शुल्क की बकाया राशि Rs.35,96,235/- (केवल पैंतीस लाख छियानबे हजार दो सौ पैंतीस रुपये) का भुगतान करना था, जो देय हो गया था। अपीलार्थी को दस दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर विभाग बैंक गारंटी को लागू करने और अपीलार्थी से बकाया वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

9. उपरोक्त सूचना के बाद, देय राशि की वसूली के संबंध में 19/20.10.1993 पर अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी ने अपने रुख को दोहराया कि अधिनियम की धारा 11ए के तहत कारण बताएँ नोटिस आवश्यक था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 10/12.3.1993 के संदर्भ में भी शामिल था। हालांकि, आबकारी के सहायक कलेक्टर ने मूल दिनांक 7/15.12.1993 के आदेश के माध्यम से उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में, कर्तव्य देयता

स्वयं विवाद में था और निर्धारण को तभी अंतिम रूप दिया जा सकता था जब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शुल्क देयता के प्रश्न का निर्णय लिया गया था, और एक बार उस मुद्दे का समाधान हो जाने के बाद, अधिनियम की धारा 11ए के तहत नोटिस जारी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता ने स्वयं स्वेच्छा से बी-13 बांडों को निष्पादित किया था और मूल्यांकन को अस्थायी माना गया था, जैसा कि मासिक आरटी-12 रिटर्न पर अनुमोदन से पता चलता है।

10. अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में मामले को उठाया, जिन्होंने बदले में, दिनांक 31.5.2000 के आदेश-इन-अपील के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया। के आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) ने भी उत्पाद शुल्क की मांग को बरकरार रखा और अधिनियम की धारा 11ए के तहत कारण दस्सो नोटिस जारी करने की आवश्यकता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. तथ्यों के विवरण को पूरा करने के लिए, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय के समक्ष सिविल मामले में निर्भर निर्णय पर हमला किया गया था। उसमें निर्धारिती द्वारा अपील सं. 1551/2008, जिसे संभवतः प्रवेश स्तर पर 7.3.2008 पर संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था।

13. निर्भर निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण का योग और सार, जिसमें समान तथ्य शामिल हैं, यह है कि इस तरह के मामले में

जहां बी-13 बॉन्ड को निर्धारिती द्वारा निष्पादित किया गया है और मासिक आर. टी.-12 रिटर्न पर स्पष्ट समर्थन किया गया है कि यह अस्थायी मूल्यांकन का मामला है, तो कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने का सवाल है।

अधिनियम की धारा 11ए के तहत उत्पन्न नहीं होता है। उस मामले में निर्धारिती ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया था, जिन्हें विचाराधीन मामले की तथ्य स्थिति के लिए अप्रयोज्य माना गया है। हम इस निर्णय में उल्लिखित विस्तृत कारणों का विज्ञापन कुछ समय बाद करेंगे।

14. हम अब वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विज्ञापन दे सकते हैं। अपीलार्थी के अनुसार, मुख्य रूप से दो प्रश्न

विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं: -

" 1) क्या 25.05.1981 से 14.05.1985 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग, जैसा कि विभाग द्वारा उठाया गया है, सीमा द्वारा वर्जित है?

यह प्रश्न इस मुद्दे पर निर्भर करता है कि क्या इस मामले में मूल्यांकन को अस्थायी कहा जा सकता है। मूल्यांकन।

2) क्या प्रत्यर्थी अधिकारी दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.03.1993 के आदेश के बाध्यकारी निर्देशों को नजरअंदाज कर सकते थे, जिसमें कहा गया था कि कोई कारण दिखाएँ नोटिस (SCN) नहीं था।

3 3 2007 (109) बॉम एलआर 2167 एम/एस।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वर्तमान मामले में आवश्यक है क्योंकि विचाराधीन आकलन अस्थायी थे?

15. यह आग्रह किया जाता है कि 10/12.3.1993 दिनांकित आदेश का तात्पर्य

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित, अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, विभाग को स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 11ए के तहत कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने और अपीलार्थी के खिलाफ केवल रोहित मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त प्रावधान के तहत अनुमेय तरीके से आगे बढ़ने के लिए बाध्य किया। यह आग्रह किया जाता है कि रोहित मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में कथन दिल्ली उच्च न्यायालय के विषय आदेश का हिस्सा था और जिस कारण से, यह खुला नहीं था।

विभाग को इसके विपरीत रुख अपनाने के लिए। उक्त दायित्व का पालन न करने में अधिकारियों का दृष्टिकोण न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। दूसरी ओर, यदि अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं, तो 25.5.1981 से 13/14.5.1985 तक की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग स्पष्ट रूप से सीमित होगी। तब यह आग्रह किया जाता है कि अधिकारियों ने अस्थायी मूल्यांकन का मार्ग अपनाया, वे एक आदेश पारित करके उस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बाध्य थे। वर्तमान मामले में, अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि अधिकारियों पर अस्थायी मूल्यांकन का निर्देश देने वाला औपचारिक विशिष्ट आदेश पारित करना अनिवार्य है, वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र पर भरोसा किया जाता है।

राजस्व) जिसका नंबर 26/1989 दिनांकित 24.4.1989 है। यह आग्रह किया जाता है कि यह तथ्य कि अपीलार्थी ने बी-13 बॉन्ड या मासिक आर. टी. 12 रिटर्न को कथित रूप से अनंतिम मूल्यांकन के रूप में निष्पादित किया था, अपीलार्थी के खिलाफ कभी भी विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के अवलोकन के आलोक में नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाए, जो रिट याचिकाओं के निपटारे का आधार था। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थी रोहित मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करेगा।

मिल्स लिमिटेड (ऊपर); द भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. आयकर अधिकारी, भोपाल '; आर. बी. एफ. रिग कॉर्पोरेशन, मुंबई बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई 3; धातु फोर्जिंग और अन्र। बनाम भारत संघ & Ors.6; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर '; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज

4 1961 (1) एससीआर 474 5 (2011) 3 एससीसी 573 6 (2003) 2 एससीसी 36 7 (1998) 3 एससीसी 540 [2019] 17 एस. सी. आर.

Ltd.[3]; कलाभारती विज्ञापन बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य। ' ; जगमितर सैन भगत और अन्य। बनाम निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा और तटीय गैस और रसायन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, विशाखापत्तनम और

16. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने अधिकारियों/न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए कारणों का समर्थन किया और तर्क दिया कि अस्थायी मूल्यांकन का मामला होने के नाते, कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करने का सवाल है। अधिनियम की धारा 11ए के तहत अपीलार्थी के लिए मामला नहीं बनता है। जबकि, अधिकारियों ने कानून के अधिदेश के अनुसार कार्य किया और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, और ऐसे आदेश पारित करने से पहले, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रत्यर्थी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 10/12.3.1993 के आदेश ने अधिकारियों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने में कोई बाधा पैदा नहीं की।

कानून। अधिक से अधिक, आदेश की अवधि यह सुझाव देगी कि यदि कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करने की आवश्यकता है और ऐसा जारी नहीं किया गया है, तो अधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद इस तरह का नोटिस जारी करने और उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। न अधिक और न ही कम। दिल्ली उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई अन्य निर्देश जारी नहीं कर सकता था, जो सांविधिक पदाधिकारी को अपने सांविधिक कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने की प्रकृति का होता और न ही अपीलार्थी को उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के अपने सांविधिक दायित्व से मुक्त करने की प्रकृति का होता, जो अन्यथा अपीलार्थी द्वारा देय था, लेकिन रिट याचिकाएं दायर करने के लिए। मान लीजिए कि अपीलार्थी को दिया गया अंतरिम संरक्षण सशर्त था और अपीलार्थी ने उसी पर कार्य करते हुए बी 13 बांड प्रस्तुत किए थे, जो पूर्व-मान लेता है कि यह अस्थायी मूल्यांकन का मामला था और रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता था। इसमें, यह अधिनियम की धारा 11ए के लिए संदर्भित मामला नहीं था। प्रत्यर्थी बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भारी भरोसा कर रहा है

जाम श्री रंजीतसिंहजी (उपरोक्त) का मामला, जिसे इस न्यायालय ने 7.3.2008 पर सिविल अपील सं. 1551/2008 को खारिज करके बरकरार रखा है। यह आग्रह किया जाता है कि निर्भर मामले और वर्तमान मामले के तथ्य लगभग समान हैं, यदि समान नहीं हैं। इसके अनुसार

प्रत्यर्थी, अपील गुणदोष से रहित है और उसे खारिज कर दिया जाए।

8 (2005) 3 एस. सी. सी. 489

9 (2010) 9 एस. सी. सी. 437

10 (2013) 10 एससीसी 136

11 (1997) 7 एससीसी 223 एम/एस।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

17. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री काविन गुलाटी और वरिष्ठ वकील श्री ए. के. सांघी को सुना है।

उत्तरदाता।

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मुख्य मुद्दा जिसे तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है, वह आदेश के उद्देश्य के बारे में है

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12.3.1993 पारित किया गया। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख के संदर्भ में समझना होगा। उक्त रिट याचिकाओं में, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा था कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित कपड़ा उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि इसे नियमों के नियम 9 और 49 के अर्थ के भीतर परिसर से नहीं हटाया गया था। निर्विवाद रूप से, उक्त नियमों के उद्देश्य का अंत में इस न्यायालय द्वारा मेसर्स में जवाब दिया गया है। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्र. बनाम भारत संघ और Ors.[1]2 12 दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों की परस्पर विरोधी राय को हल करने के बाद। रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख को इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में नकार दिया गया है। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से संबंधित प्रश्न कम से कम इस निर्णय के बाद अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था और न ही हो सकता था। स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी ने जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड स्पिनिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण से संकेत लेते हुए रिट याचिकाएं दायर की थीं। वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड और अन्य। (ऊपर @एफ. एन. 1)। उस दृष्टिकोण पर अंततः इस न्यायालय द्वारा मेसर्स में विचार किया गया है। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड (ऊपर @F.N.12),

निर्धारिती को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना।

19. इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सशर्त रोक के उद्देश्य को रेखांकित करना उचित हो सकता है।

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार करना। प्रारंभ में, दिनांक 25.5.1981 के आदेश के अनुसार, सिविल विविध याचिका संख्या 1699/1981 के प्रार्थना खंड (ए) के संदर्भ में अंतरिम राहत दी गई थी, जिसे अब तक पुनः प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना खंड द्वारा, अपीलार्थी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी

प्रपत्र बी-13 में फाइल अंडरटेकिंग/बॉन्ड जो नियम 9 बी के लिए संदर्भित है, उस धागे के संबंध में निर्दिष्ट अंतर शुल्क के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित है। उक्त अंतरिम राहत तब थी 14.5.1985 पर संशोधित किया गया। तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से भिन्न शुल्क की समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित नियम 9बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13 में आवश्यक बांड प्रस्तुत किए। यह है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार दायर कोई वचन पत्र नहीं। स्वीकार करते हुए, रिट याचिकाओं का निपटान करने का आदेश अपीलार्थी को उक्त बॉन्ड से मुक्त नहीं करता है; न ही उस पर और मासिक आरटी-12 रिटर्न पर किए गए समर्थन, जो यह दर्शाते हैं कि यह एक अस्थायी मूल्यांकन था, को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10/12.3.1993 का आदेश किसी भी तरह से अपीलार्थी को उस प्रक्रिया से बाहर नहीं करता है जिसमें अपीलार्थी ने स्वेच्छा से खुद को प्रस्तुत किया था, अर्थात् नियमों के नियम 9B के तहत। इस प्रकार, यह शुल्क न लगाए जाने या न भुगतान किए जाने या कम शुल्क या कम भुगतान किए जाने का मामला नहीं था। पक्षकारों की समझ बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के लिए। (ऊपर @एफ. एन. 1)। इस प्रकार समझा जाता है कि अपीलकर्ता अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसमें फॉर्म बी-13 में दिए गए उपक्रम/बांड से उत्पन्न होने वाले दायित्व भी शामिल हैं और वह उस प्रक्रिया से पीछे नहीं हट सकता है जिसमें उसने काम किया था।

बिना किसी आपत्ति के, अर्थात् नियमों के नियम 9 बी के तहत खुद को प्रस्तुत किया।

20. वास्तव में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10/12.3.1993 के आदेश के माध्यम से रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, रोहित मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया था। उस निर्णय को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने उसमें निर्दिष्ट दो स्थितियों पर विचार किया। पहला, जहां अधिनियम की धारा 11ए के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए हैं और दावा किसी भी अवधि को कवर नहीं करता है नोटिसों की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक। दूसरा, जहां इस बात पर विवाद है कि धारा 11ए के तहत नोटिस जारी किया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में, उपरोक्त में से कोई भी आकर्षित नहीं है और इसी कारण से एम/एस के पैराग्राफ 30 से 33 में व्याख्या की गई है। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड (ऊपर @F.N.12),

जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, वह अपीलार्थी के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा। 21. अधिनियम की धारा 11ए, जो प्रासंगिक समय पर लागू होगी, शुल्कों की वसूली के मामलों पर लागू होगी जो नहीं लगाए गए हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं या

अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान आदि। संबंधित समय पर लागू होने वाली धारा इस प्रकार है:

" 11A.Recovery शुल्क जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या कम लगाए गए

या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया। -

(1) जब उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो या भुगतान नहीं किया गया हो या कम समय के लिए लगाया गया हो या कम समय के लिए भुगतान किया गया हो या गलती से वापस किया गया हो, चाहे वह एम/एस हो।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय मंत्री [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या ऐसा गैर-शुल्क या गैर-भुगतान, अल्प-शुल्क या अल्प-भुगतान या त्रुटिपूर्ण धनवापसी, जैसा भी मामला हो, के आधार पर नहीं था

भुगतान किया गया है या जो कम समय के लिए लगाया गया है या कम समय के लिए भुगतान किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, जिसके लिए उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए: बशर्ते कि जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण गलती से वापस किया गया है, तो इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा प्रभावी होंगे, जैसे कि एक वर्ष के लिए,

स्पष्टीकरण। — जहां न्यायालय के आदेश द्वारा सूचना की सेवा पर रोक लगाई जाती है, वहां इस तरह की रोक की अवधि को, यथास्थिति, एक वर्ष या पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा। (1ए) जब उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है,

धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने या कर्तव्य के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का कारण, ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा, जिसे नोटिस दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के परंतुक के तहत सेवा प्रदान की जाती है, तो वह पूर्ण या आंशिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकता है जो वह स्वीकार कर सकता है, और उस पर धारा 11एबी के तहत देय ब्याज और पच्चीस प्रतिशत के बराबर जुर्माना का भुगतान कर सकता है। सूचना में निर्दिष्ट कर्तव्य या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार स्वीकार किए गए कर्तव्य की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, जिसे उप-धारा (1) के तहत नोटिस दिया गया है, ऐसे व्यक्ति से देय उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करेगा (जो [2019] 17 एस. सी. आर. की राशि से अधिक नहीं है।

सूचना में विनिर्दिष्ट) और उसके बाद ऐसा व्यक्ति इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करेगा: बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति ने उप-धारा (1ए) के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ शुल्क का पूरा भुगतान किया है, तो ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही जिन्हें नोटिस दिया गया है

उप-धारा (1) के तहत सेवा की गई, धारा 9,9ए और 9एए के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माना जाएगा

उसमें वर्णित मामलों के बारे में निर्णायक:

बशर्ते कि, यदि ऐसे व्यक्ति ने उप-धारा (1ए) के तहत आंशिक रूप से शुल्क, ब्याज और जुर्माने का भुगतान किया है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उस शुल्क या ब्याज की राशि का निर्धारण करेगा जो ऐसे व्यक्ति से आंशिक रूप से देय राशि से अधिक नहीं है। (2ए) जहां किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस दिया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी,

(क) यदि कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से किया गया है।

धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण वापस किया गया, जहां ऐसा करना संभव है, ऐसी राशि निर्धारित करेगा।

एक वर्ष की अवधि के भीतर कर्तव्य; और

(ख) किसी अन्य मामले में, जहां ऐसा करना संभव है,

उत्पाद शुल्क की राशि का निर्धारण करना जो नोटिस की सेवा की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है। उप-धारा (1) के तहत व्यक्ति।

शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति, शुल्क के संबंध में उप-धारा (1) के तहत उस पर नोटिस की सेवा से पहले ऐसे शुल्क के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर शुल्क की राशि का भुगतान कर सकता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे भुगतान के बारे में सूचित कर सकता है। जो ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर इस प्रकार भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना नहीं देगा:

एम/एस। द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय मंत्री [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्पष्टीकरण 1. —इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां शुल्क नहीं लगाया गया था या भुगतान नहीं किया गया था या कम लगाया गया था या कम भुगतान किया गया था या धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण गलती से वापस कर दिया गया था। स्पष्टीकरण 2. —शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 11एबी के तहत ब्याज इस उप-धारा के तहत व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई राशि पर और शुल्क के अल्प भुगतान की राशि पर भी देय होगा, यदि कोई हो।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित, लेकिन इस उप-धारा के लिए।

स्पष्टीकरण 3. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भुगतान के संबंध में इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

इस उप-धारा के तहत शुल्क और उस पर ब्याज। (2ग) उप-धारा (2ख) के प्रावधान किसी पर लागू नहीं होंगे।

मामला जहां शुल्क देय हो गया था या उस तारीख से पहले भुगतान किया जाना चाहिए था जिस दिन वित्त विधेयक, 2001 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(i) "धनवापसी" में भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क सामग्री पर उत्पाद शुल्क की छूट शामिल है।

भारत से बाहर;

((ख) "सुसंगत तिथि" का अर्थ है -

(क) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है [2019] 17 एस. सी. आर.

(ए) जहां इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत एक आवधिक विवरणी, जिसमें उस अवधि के दौरान हटाए गए उत्पाद शुल्क का विवरण दिखाया गया है, जिसके दौरान उक्त विवरणी संबंधित है, एक निर्माता या एक उत्पादक या एक गोदाम के लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जानी है, जिस तारीख को ऐसी विवरणी इस तरह से दाखिल की जाती है;

(बी) जहां उपरोक्त के रूप में कोई आवधिक विवरणी दाखिल नहीं की जाती है, वह अंतिम तिथि जिस पर उक्त के तहत ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है।

नियम;

(ग) किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस पर इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना है;

(ख) ऐसे मामले में जहां इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का अस्थायी रूप से आकलन किया जाता है,

उसके अंतिम मूल्यांकन के बाद कर्तव्य;

(ग) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

गलती से धनवापसी की गई, इस तरह के धनवापसी की तारीख।

22. हालाँकि, हाथ में मामला इसके भीतर आएगा

एन. एस. ए. एन. एस. ए. एन. एस. ए.

((ग) जहाँ किसी निर्धारिती ने सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हों।

दस्तावेजों और पूरी जानकारी के लिए प्रस्तुत

शुल्क का निर्धारण, लेकिन उचित अधिकारी आगे की जांच करना आवश्यक समझता है (जिसमें माल के संबंध में लगाई गई शर्तों के उचित पालन के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए जांच भी शामिल है। हटाने)
शुल्क का आकलन करने के लिए; एम/एस।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय मंत्री [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उचित अधिकारी, या तो लिखित अनुरोध पर

निर्धारिती या अपनी मर्जी से, यह निर्देश देता है कि उस पर देय शुल्क

ऐसा माल, ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुत होने तक, या

ऐसी जानकारी देना या ऐसे परीक्षण को पूरा करना या

जाँच, ऐसी दर या ऐसे मूल्य पर अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया जाए

(जो आवश्यक रूप से द्वारा घोषित दर या मूल्य नहीं हो सकता है

निर्धारिती) जैसा कि उसके द्वारा इंगित किया जा सकता है, यदि ऐसा निर्धारिती निष्पादित करता है

ऐसी प्रतिभूति या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ उचित रूप में एक बंधन

ऐसी राशि में, या ऐसी शर्तों के तहत जैसे कि उचित अधिकारी उचित समझते हैं, दोनों के बीच के अंतर के भुगतान के लिए खुद को बाध्य करते हैं

अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क की राशि और अंत में

मूल्यांकन किया गया।

(2) XXX

XXX

XXX

इस तरह की जमानत या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ उचित रूप में बांड ऐसी राशि में या ऐसी शर्तों के तहत जैसे कलेक्टर

समय-समय पर किसी भी वस्तु के अस्थायी मूल्यांकन के लिए मंजूरी देता है

समय के अनुसार:

बशर्ते कि मृत्यु, दिवालिया या अपर्याप्तता की स्थिति में

जमानत की या जहां बांड की राशि अपर्याप्त है,

कलेक्टर अपने विवेकाधिकार पर एक नए बांड की मांग कर सकता है और,

यदि बांड के लिए दी गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है, तो मांग करें

अतिरिक्त सुरक्षा।

(4) उप-नियम (1) के तहत अस्थायी रूप से मूल्यांकन की गई वस्तुएँ -

घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए उसी तरीके से मंजूरी दी गई जैसे

ऐसी वस्तुएँ जिनका इस प्रकार मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(5) जब माल पर देय शुल्क का मूल्यांकन अंत में किया जाता है इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कर्तव्य

अस्थायी रूप से मूल्यांकन को अंत में शुल्क के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

यदि अस्थायी रूप से निर्धारित शुल्क कम हो जाता है, या यदि अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक है, तो निर्धारिती भुगतान करेगा

कमी हो या जैसा भी मामला हो धनवापसी का हकदार हो।

23. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने स्वेच्छा से बांड को प्रपत्र में निष्पादित किया

नियमों के नियम 9 बी के लिए संदर्भित और सुसज्जित बैंक भी

विचाराधीन कपड़े के शुल्क स्पेक्ट की अंतर राशि के बराबर राशि के लिए शुल्क। अधिकारियों ने कियाबांड पर और [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा दाखिल किए गए मासिक आर. टी.-12 विवरणी पर भुगतान।

निर्धारिती, यह दर्शाता है कि यह अनंतिम मूल्यांकन का मामला था। उस प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के बाद, अपीलकर्ता के लिए यह आग्रह करना खुला नहीं है कि अधिकारियों द्वारा अस्थायी मूल्यांकन का एक स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। 24. जो भी हो, दिनांक 10/12.3.1993 के आदेश में दर्ज पक्षों द्वारा लिया गया रुख इस तथ्य को स्वीकार करने तक सीमित है कि यदि -

नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है, वही दिया जाएगा और उस मामले में अपीलार्थी के लिए जवाब दाखिल करने के लिए खुला रहेगा और आगे, अधिकारी निर्धारिती को अवसर देने के बाद निर्णय लेंगे।

निर्धारित प्रारूप, अर्थात् नियमों के नियम 9बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13-प्रक्रिया को रिट याचिकाओं के निपटारे तक अस्थायी मूल्यांकन के रूप में मानने के लिए। यह भी देखा गया है कि अधिकारियों ने बाद में रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद अंतिम आदेश पारित किया है। 25. एक प्राथमिकता के रूप में, अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10/12.3.1993 के आदेश में निहित किसी भी शर्त या निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है और 25.5.1981 से 13/14.5.1985 के बीच की अवधि के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए।

26. द जैम श्री रंजीतसिंहजी (उपरोक्त) में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर वापस आते हुए, इसी तरह के तर्क पर विचार किया गया और उच्च न्यायालय ने विस्तृत विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान जैसे मामले में, यह खुला नहीं है।

निर्धारिती को अधिनियम की धारा 11ए के तहत एक नोटिस के लिए जोर देने के लिए, जिसका अस्थायी मूल्यांकन के मामलों में कोई असर नहीं है। बम्बई के उच्च न्यायालय ने इसी तरह के तर्कों पर विचार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" 33. अत: विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या अनंतिम मूल्यांकन करने के लिए परिस्थितियाँ मौजूद थीं। वर्तमान मामला और दूसरा, क्या एक अनंतिम मूल्यांकन

बंदी के लिए धागे की निकासी से पहले आदेश दिया गया था

उपभोग?

34. पहले विवाद के संदर्भ में, अपीलार्थी का तर्क है कि वर्तमान मामले में नियम 9बी में निर्धारित अनंतिम मूल्यांकन करने के लिए कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं है। इसके अलावा, वर्गीकरण सूची और मूल्य सूची पहले से ही एम/एस थी।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय मंत्री [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्वीकृत, और इसलिए, अस्थायी मूल्यांकन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तर्क में कोई दम नहीं है। क्योंकि 1944 के नियमों के नियम 9-बी (1) (सी) के तहत, निर्धारिती द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और प्रस्तुत करने के बाद भी

शुल्क के मूल्यांकन के लिए पूरी जानकारी जो इसके लिए खुली थी

निर्धारण अधिकारी या तो निर्धारिती द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर या यदि उचित अधिकारी आगे की जांच करना आवश्यक समझता है तो अस्थायी मूल्यांकन करेगा। वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक विवाद लंबित था। कैप्टिव उपभोग के लिए साफ़ किए गए धागे की छूट के संबंध में अदालत। दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, यह अपीलकर्ता के लिए खुला था कि वह अस्थायी उपयोग के लिए धागे की निकासी की अनुमति देने के लिए उचित अधिकारी से अनुरोध करे।

मूल्यांकन आधार। वास्तव में, बी-13 बॉन्ड में यह दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी ने अस्थायी मूल्यांकन की मांग की थी। भले ही अपीलार्थी का यह तर्क कि बी-13 बॉन्ड को आबकारी अधिकारियों के कहने पर निष्पादित किया गया था, स्वीकार किया जाता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक विवाद लंबित था, यह उचित अधिकारी के लिए खुला था कि वह अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर बंदी उपभोग के लिए धागे को मंजूरी देने पर जोर दे। 35. विचार करने के लिए अगला सवाल यह है कि क्या वास्तव में अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर कैप्टिव खपत के लिए धागे की मंजूरी से पहले एक अस्थायी मूल्यांकन आदेश दिया गया था? यह विवाद में नहीं है कि मई, 1981 से मई, 1984 की अवधि के दौरान अपीलार्थी ने बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करके कैप्टिव उपभोग के लिए धागे को मंजूरी दी थी जो अस्थायी रूप से मूल्यांकन की गई वस्तुओं पर लागू होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी को बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया था। बी-13 बॉन्ड के अलावा, 1944 के नियमों के परिशिष्ट I में निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के बॉन्ड हैं, जो हो सकते हैं -

अपीलार्थी द्वारा निष्पादित। तथ्य यह है कि अपीलार्थी राजस्व के संदर्भ में बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करने का दावा करता है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उचित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करके अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर मंजूरी दी गई है।

36. यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि बी-13 बांड अनजाने में या गलती से निष्पादित किया गया था। इसलिए, सचेत रूप से बंदी उपभोग के लिए धागे को साफ कर दिया गया है निर्देशानुसार बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करके अनंतिम मूल्यांकन आधार [2019] 17 एस. सी. आर.

आबकारी अधिकारियों द्वारा, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि अस्थायी रूप से धागे को साफ करने का कोई आदेश/निर्देश नहीं था

मूल्यांकन आधार "।

27. इस न्यायालय के निर्णय, जिन पर हमारा ध्यान अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया है, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय माने गए हैं। उच्च न्यायालय ने सही कहा

वेद कि उक्त निर्णयों का मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है

राष्ट्रीय मूल्यांकन के बाद अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। उन निर्णयों पर विचार करते समय, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 39. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि किए गए अवलोकन

शीर्ष न्यायालय द्वारा 1944 के अधिनियम की धारा 11-ए के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में उपरोक्त सभी मामलों में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में था जो शीर्ष न्यायालय द्वारा 1944 के नियमों के नियम 9 और 49 में संशोधन की वैधता को बरकरार रखने के कारण देय हो गया था। जाहिर है, उक्त अवलोकन उन मामलों पर लागू होने के लिए थे जहां अंतिम आकलन पहले ही किए जा चुके थे, न कि उन मामलों के संबंध में जहां आकलन अस्थायी थे। क्योंकि शुल्क देयता केवल अंतिम मूल्यांकन के समय निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त सभी मामलों में जो माना जाता है, वह यह है कि नियम 9 और 49 में पूर्वव्यापी संशोधन के बावजूद, जहां आकलन पहले ही अंतिम रूप दे चुके हैं, संशोधित नियम 9 और 49 के तहत शुल्क की वसूली केवल इस प्रकार की जा सकती है -

1944 के अधिनियम की धारा 11 ए के तहत नोटिस जारी करना।

40. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जे. के. कॉटन मिल्स (उपरोक्त) के मामले में विवाद के लंबित रहने के दौरान दी गई मंजूरी के संबंध में, अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर माल का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं था। उस मामले में, न तो बी-13 बॉन्ड को निष्पादित करके माल को मंजूरी दी गई थी और न ही आरटी-12 रिटर्न पर इस प्रभाव का कोई समर्थन किया गया था कि आकलन अस्थायी थे। इसके अलावा, राजस्व द्वारा जारी कारण दर्शाओ नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि माल को अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर मंजूरी दी गई थी। वास्तव में, उस मामले में सहायक कलेक्टर ने मूल्यांकन को इस प्रकार माना

केवल इस आधार पर कि मामला विचाराधीन था और राजस्व का मूल तर्क यह था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक वस्तुतः उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के तहत नोटिस की सेवा पर रोक लगाने के बराबर थी। उस एम/एस के तथ्यों में।

द बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. सीओ। लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मामला, जहाँ आकलन ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और जहाँ

यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मंजूरी अस्थायी मूल्यांकन के आधार पर दी गई थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि नियम 9बी के तहत किए गए अस्थायी मूल्यांकन के एक स्पष्ट आदेश के अभाव में, मूल्यांकन को अस्थायी नहीं माना जा सकता है।"

28. जैसा कि पहले देखा गया है, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित तरीके से हमला किया गया था -

सिविल अपील सं. 1551/2008, जिसे 7.3.2008 पर संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस न्यायालय ने उक्त अपील को संक्षेप में खारिज कर दिया था। फिर भी, बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, हमारे लिए सराहनीय है।

29. अपीलार्थी ने भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) और आर. बी. एफ. रिग कॉर्पोरेशन में निर्णय पर जोर दिया था।

मुंबई (ऊपर) ने तर्क दिया कि विभाग को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत स्थिति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब तक बताए गए कारणों के कारण, हमारी राय में, इस समर्पण का आधार निराधार है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने से न तो रोका गया है और न ही रोका जा सकता है। वर्तमान मामले में, अधिकारियों ने जो कुछ भी किया है, वह प्रक्रिया का पालन करना है जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी मूल्यांकन, एक अंतिम आदेश पारित करके और उस आदेश के आधार पर मांग बढ़ाते हुए। अपीलार्थी, वास्तव में, सशर्त अंतरिम आदेश के संदर्भ में, प्रपत्र बी-13 में निष्पादित बांड और प्रासंगिक अवधि के लिए समय-समय पर दाखिल किए गए मासिक आर. टी.-12 विवरणी के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य है।

30. इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह द जैम श्री रंजीतसिंहजी (उपरोक्त) में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय में अन्य टिप्पणियों पर विस्तार करे। इसी कारण से, हमारे लिए धातु फोर्जिंग्स (ऊपर) में प्रदर्शनी से निपटना आवश्यक नहीं है। उस निर्णय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के निष्कर्ष पर हमला करने के लिए सेवा में लगाया गया है, जिन्होंने कहा था कि आरटी-12 रिटर्न के आधार पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए पारित आदेश को ही कारण दिखाएँ नोटिस के रूप में माना जाना चाहिए। इस पहलू पर और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। 31. इसी तरह, मेटल फोर्जिंग्स (ऊपर) और हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय का स्पष्टीकरण।

यह आग्रह करना कि किसी निर्धारण को अनंतिम मूल्यांकन के रूप में माने जाने से पहले विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता थी, अपीलार्थी द्वारा अपनी इच्छा से प्रपत्र बी-13 में बांड के निष्पादन पर विचार करते हुए कोई लाभ नहीं होगा, जो नियमों के नियम 9 बी के तहत अनंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए संदर्भित है। एक बार जब अपीलार्थी ने रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए किसी भी आपत्ति के बिना उस प्रक्रिया के लिए खुद को प्रस्तुत कर दिया, तो वह बाद में वहां से फिर से दायर करने के लिए खुला नहीं है। निर्धारिती को ऐसा करने की अनुमति देने से अनिवार्य रूप से निर्धारिती को अनुचित लाभ और पक्ष मिलेगा, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय का आह्वान किया था और नागरिक विविध याचिकाओं के प्रार्थना खंड (ए) में उल्लिखित प्रपत्र बी-13 में बांड निष्पादित करने की पेशकश पर अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। इसी कारण से, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र से अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा, कलाभारती विज्ञापन (ऊपर) और जगमितर सैन भगत (ऊपर) में निर्णय भी अपीलार्थी के लिए कोई फायदेमंद नहीं होंगे। क्योंकि, अपीलार्थी ने स्वेच्छा से बंधपत्रों को निष्पादित किया था और मासिक आर. टी.-12 विवरणी भी दाखिल की थी, जिस पर अनुमोदन एक अस्थायी मूल्यांकन होने का संकेत दिया गया था। 32. मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी को दिल्ली उच्च न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी नियमों के नियम 9बी के लिए संदर्भित प्रपत्र बी-13 में बांड निष्पादित करेगा और समय-समय पर मासिक आर. टी.-12 विवरणी दाखिल करना जारी रखेगा, जिस पर यह संकेत दिया गया है कि यह अस्थायी मूल्यांकन का मामला है। अपीलार्थी को अब यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने उस ओर से संबंधित प्राधिकारी के एक विशिष्ट आदेश की कमी के कारण अस्थायी मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10/आई. डी. 1 पर पारित आदेश को उचित परिप्रेक्षय में समझना होगा और अपीलार्थी को अनुचित लाभ देने या पक्ष देने के लिए नहीं और इस तरह राज्य के वैध खजाने को वंचित करना होगा।

33. परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है। मध्यस्थता लंबित है आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे